

रक्षा लेखा नियंत्रक कार्यालय चेन्नई

618, अण्णा सालई, तेनांपेट, चेन्नई 600018

दूरभाष: 044 24349980

फैक्स: 044 24348142

प्रशा आदेश संख्या - 41

दिनांक : 04/07/2019

विषय - वरिष्ठ लेखा अधिकारियों / लेखा अधिकारियों के स्थानांतरण/ तैनाती के लिए डिफेंस अक्काउंट्स प्लेसमेंट बोर्ड (Defence Accounts Placement Board) का गठन।

मुख्यालय कार्यालय द्वारा र.ले.प्र.नि / र.ले.नि / पी.सी.ए (फ़ैक्टरि) को 01/07/2019 की प्रभावी तारीख से उनके कमांड / क्षेत्राधिकार में वरिष्ठ लेखा अधिकारियों के रोटेशन / स्थानांतरण / तैनाती (एओ जीई / एओ बी, आर.टी.एफ. सहित) करने के लिए सशक्त करने पर, रक्षा लेखा नियंत्रक चेन्नई संगठन के अंदर वरिष्ठ लेखा अधिकारियों / लेखा अधिकारियों का प्लेसमेंट करने के लिए निम्नलिखित तीन भा. र.ले. से. अधिकारियों के डिफेंस अक्काउंट्स प्लेसमेंट बोर्ड (Defence Accounts Placement Board) का गठन किया गया है।

1. श्री दिबन.एस.एस., भा.र.ले.से, र.ले.स.नि.
2. श्री विगनेश.के, भा.र.ले.से, र.ले.स.नि.
3. श्री जी.श्रीनिवास, भा. र. ले. से., र. ले. स. नि.

यह बोर्ड एक रेकमेंडरी बॉडी (recommendarory body) है तथा नियमानुसार इनकी सिफारिशों को अंतिम आदेशों के लिए सक्षम प्राधिकारी के सामने रखा जाएगा। यह बोर्ड निम्नलिखित दिशा-निर्देशों के अनुसरण में अपनी सिफारिशें देगा।

- i) एओ जीई कार्यालय तथा मुख्य कार्यालय / उप कार्यालयों में थर्ड पार्टी (third Party) भुगतान से डीलिंग रखने वाले असाइन्मेंट / अनुभाग में लेखा अधिकारी / वरिष्ठ लेखा अधिकारी ग्रेड में तैनाती दो टेन्यूर (tenure) से अधिक नहीं होगी।
- ii) ऐसे दो असाइन्मेंट जहां थर्ड पार्टी (third party) भुगतान शामिल है, उनके बीच 3 वर्षों की कूलिंग ऑफ अवधि रखी जानी चाहिए।
- iii) यदि वरिष्ठ लेखा अधिकारी / लेखा अधिकारी की रिक्ति स्वयं अपने मैनपावर रिसोर्स से भरी नहीं जा सकी हो तो, सदस्यों द्वारा सिफारिशों पर अपने मद प्रकट किए जाए ताकि ऐसे मामलों को प्लेसमेंट के लिए मुख्यालय कार्यालय को भेजा जा सके।
- iv) सहायक लेखा अधिकारी से लेखा अधिकारी के ग्रेड पर पदोन्नति के मामलों में, पदोन्नत सहायक लेखा अधिकारी की तैनाती का निर्णय DAPB द्वारा लिया जा सकता है, बशर्ते की उन्हें उसी संगठन में एडजस्ट किया जाए। यदि संभव न हो तो, मामले को मुख्यालय कार्यालय भेजा जा सकता है।
- v) वरिष्ठ लेखा अधिकारियों / लेखा अधिकारियों को रोटेट करते समय मुख्यालय कार्यालय के दिनांक 21/08/2017 के महत्वपूर्ण परिपत्र संख्या AN/XIII/13006/2A/Vol-XXII का पालन किया जाएगा।
 - i) इंटर कमांड स्थानांतरण / तैनाती ((ii) विदेशी तैनाती ((iii) हार्ड / टेन्यूर/ केन्द्रीय रूप से नियंत्रित स्टेशन से वापसी (repatriation) पर स्थानांतरण / तैनाती, यदि व्यक्ति

